

(समूह "घ" के सरकारी सेवकों से भिन्न सरकारी सेवकों के लिये)
सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत भुगतान के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र सेवा में,

उप निषन्धक (एम.)
मा० उच्च न्यायालय
सलाहकार
(आहरण एवं वितरण अधिकारी)

महोदय,

मैं सेवानिवृत्त होने वाला/व्यक्ति हूँ/ 31-5-2020 मास के लिये सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूँ/सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे चुका/चुकी हूँ और मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। दिनांक 31-5-2020 पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवोन्मुक्त/पदच्युत कर दिया/दी गयी हूँ।

2. मैं अनुरोध करता/करती हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में मेरे जमाखाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान मुझे किया जाये। मेरा भविष्य निधि लेखा संख्या LSU/18541 है।

3. 19 2019 के नवम्बर-2019 मास के मेरे वेतन बिल से भविष्य निधि अभिदान के रूप में 15000/- रु० की धनराशि की अन्तिम बार कटौती की गयी थी।

4. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैंने चालू वर्ष तथा पूर्ववर्ती पाँच वित्तीय वर्षों के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा में न तो कोई अस्थायी अग्रिम लिया है और न कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया है। चालू तथा पाँच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा लिये गये अन्तिम प्रत्याहरण का ब्यौरा/अस्थायी अग्रिम का ब्यौरा और साथ-साथ वसूली के भी ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

क- अन्तिम प्रत्याहरण

क्रम सं	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक
1.		
2.		
3.		
4.		

ख-अस्थायी अग्रिम

अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	किशतों की संख्या जिनमें धनराशि की वसूली की जानी हो	आवेदन पत्र के दिनांक तक वसूल की गयी किशतों की संख्या और धनराशि	आवेदन पत्र के दिनांक तक वसूल न की गयी किशतों की संख्या और धनराशि	यदि वसूली नियमित न रही हो तो उनके कारण दीजिये
1	2	3	4	5	6

5. मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि बीमा की किस्त (प्रीमियम) के भुगतान के लिये घा और पांच/पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भविष्य निधि लेखा से मेरे द्वारा कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गयी थी/ निम्नलिखित धनराशियां प्रत्याहृत की गयी थी :-

क्रम सं	धनराशि	आहरण का दिनांक
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		

6. भविष्य निधि से मेरे द्वारा वित्तपोषित ऐसी जीवन बीमा पालिसियों का ब्यौरा जिन्हें निर्मुक्त किया जाना है, नीचे दिया गया है :-

क्रम सं	पोलिसी संख्या	भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा का नाम	बीमाकृत राशि
1			
2			
3			
4			

7. मैं वचन देता/देती हूँ कि यदि सामान्य भविष्य निधि पास-बुक में अतिशेष के 90 प्रतिशत से अधिक धनराशि का कोई भुगतान मुझको किया जाता है और ऐसे अधिक भुगतान का समायोजन अवशिष्ट (भाग-दो के अनुसार अनुमन्य) धनराशि के भुगतान से उपादान (ग्रेच्युटी) से न किया गया हो तो ऐसी अधिक धनराशि का भुगतान सरकार को कर दूँगा/दूँगी।

स्थान

दिनांक

आपका विश्वास-पात्र

हस्ताक्षर
नाम और पता

भाग-चार

मृत अभिदाता का सामान्य भविष्य निधि लेखा में अवशिष्ट धनराशि के अन्तिम भुगतान के लिये आवेदन पत्र का प्रपत्र

(नामांकितियों द्वारा या जहाँ कोई नामांकन न हो, अन्य दावेदारों द्वारा उपयोग किया जाने के लिये)

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा व हकदासी) एक / दो
उत्तर प्रदेश,
इलाहाबाद
(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,

मैंने/हम लोगों ने श्री/श्रीमती के सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या में अतिशेष के 90 प्रतिशत का नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिये एक आवेदन पत्र (उपर्युक्त भाग तीन द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। यह अनुरोध किया जाता है कि उपर्युक्त अभिलेख के 90 प्रतिशत का भुगतान करने के पश्चात् अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे/हम लोगों को आहरण एवं वितरण अधिकारी कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से किया जाये।

भवदीय

स्थान

दिनांक

(दावेदार/दावेदारों का हस्ताक्षर)
पूरा नाम और पता

(आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा उपयोग के लिये)

1. श्री/श्रीमती..... का भविष्य निधि/लेखा सं० है।
2. यह सेवानिवृत्त हो गया है/हो गयी है/सेवानिवृत्त होगा/होगी मास के लिये सेवानिवृत्त पूर्व छुट्टी पर चला गया है/चली गयी है/उसने सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे दिया है और उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है उसे दिनांक को पूर्वान्ह/अपरान्ह से सेवामुक्त/पदच्युत कर दिया गया है।
3. रु० की अन्तिम निधि कटौती और अग्रिम की वापसी के लिये की वसूली उसके वेतन से कोषागार के रुपये के वाउचर संख्या दिनांक से किया गया था और उसे उपर्युक्त वाउचर के साथ संलग्न रुपये की सामान्य भविष्य निधि अनुसूची सम्मिलित किया गया।

4. प्रमाणित किया जाता है कि उसे चालू तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में न तो कोई अस्थायी अग्रिम स्वीकृत किया गया और न उसके भविष्य निधि लेखा से कोई अन्तिम प्रत्याहरण किया गया था।

या

प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित अन्तिम प्रत्याहरण या अन्तिम अस्थायी अग्रिम उनको स्वीकृत किये गये थे और चालू तथा पांच पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसे भविष्य निधि लेखा में प्रत्याहृत किये गये थे।

क-अन्तिम प्रत्याहरण					
क्रम सं	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक

NIL

ख-अस्थायी अग्रिम						
क्रम सं	अग्रिम की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक	मास और वर्ष जिसमें वसूली पूरी हुई

NIL

5. प्रमाणित किया जाता है कि बीमा की किस्त के भुगतान के लिये चालू और पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान उसके भविष्य निधि से कोई धनराशि प्रत्याहृत नहीं की गयी/निम्नलिखित धनराशि प्रत्याहृत की गयी :-

क्रम सं	प्रत्याहरण की धनराशि	आहरण का दिनांक	वाउचर संख्या	कोषागार का नाम	लेखा शीर्षक
---------	----------------------	----------------	--------------	----------------	-------------

NIL

6. दिनांक 31-5-2020 (वह दिनांक जब धनराशि देय हो गयी) को उसके सामान्य भविष्य निधि पासबुक में तथा अतिशेष जिसके अन्तर्गत उस दिनांक तक शेष ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) भी है संलग्न परिकलन शीट के अनुसार 4867853=00 ₹0 (अंको में) अप्रतीक लाल (शब्दों में) है और उपर्युक्त अतिशेष का 90 प्रतिशत 4381068=00 ₹0 होता है।

7. प्रमाणित किया जाता है कि सामान्य भविष्य निधि अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि से संबंधित कोई वसूली उससे नहीं की जानी है अतएव 4381068=00 ₹0 (अंको में) अप्रतीक लाल (शब्दों में) अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अवशेष का 90 प्रतिशत है, का भुगतान प्रतीक लाल (अभिदाता का या यदि मृत्यु हो गयी है तो दावेदार/दावेदारों के नाम) को करने की संस्तुति की जाती है।

भाग दो

सामान्य भविष्य निधि, लेखा में अवशिष्ट धनराशि का अन्तिम भुगतान करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रपत्र सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) एक/दो
उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद।

(आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से)

महोदय,


मैं सेवानिवृत्त होने वाला/वाली हूँ सेवानिवृत्त हो गया हूँ/ 31-5-2020 मास के लिये सेवानिवृत्ति-पूर्व छुट्टी पर चला गया/गयी हूँ/सरकारी सेवा से त्यागपत्र दे चुका/चुकी हूँ और मेरा ब्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। दिनांक 31-5-2020 के पूर्व/अपराह्न से सेवानिवृत्त पदच्युत कर दिया गया/दी गयी हूँ।

2. मैंने अपने सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या LSU-18541 में अपने जमा खाते में विद्यमान अतिशेष के 90 प्रतिशत का, नियमों के अधीन देय ब्याज और बोनस (यदि कोई हो) सहित भुगतान करने के लिये एक आवेदन पत्र (उपयुक्त भाग-एक द्वारा) प्रस्तुत कर दिया है। मैं एतद्वारा अनुरोध करता/करती हूँ कि मेरे सामान्य भविष्य निधि लेखा में अतिशेष के 90 प्रतिशत का भुगतान के पश्चात् अवशिष्ट धनराशि का भी भुगतान मुझे आहरण एवं वितरण अधिकारी/कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से कर दिया जाये।

3. राजपत्रित अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित मेरे नमूना हस्ताक्षर दो प्रतियों में सलग्न है।

भवदीय

स्थान


हस्ताक्षर

दिनांक

नाम और पता

पैरा 3 केवल तब लागू होता है जब कोषागार/उपकोषागार के माध्यम से भुगतान की इच्छा की जाये।

या

सामान्य भविष्य निधि से संबंधित निम्नलिखित वसूलियां अभिदाता से की जानी हैं:-

क्रम सं०	वसूलियों का विवरण	धनराशि
----------	-------------------	--------

NIL

ऊपर वर्णित वसूलियों के मुद्दे रु की धनराशि की कटौती करने के पश्चात अभिदाता के सामान्य भविष्य निधि पासबुक में अतिशेष के केवल 90 प्रतिशत में से

..... (अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी हो तो दोवदार/दावेदारों का नाम) को 4381068-00 रु (अंकों में) ~~तीतालस लाख~~ ~~स्वयासी हजार अडसठ~~ रु (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

8. अभिदाता की मृत्यु दिनांक को हुई। मृत्यु प्रमाण पत्र-संलग्न है।

9. परिकलन शीट (दो प्रतियों में) और शेष धनराशि के भुगतान के आवेदन पत्र सहित की अग्रसारित।

आहरण एवं वितरण अधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर ~~वितरण अधिकारी~~ जनपद न्यायालय अमरोहा

दिनांक

जांचकर्ता लेखा प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिये

1. प्रमाणित किया गया कि मैंने संलग्न परिकलन शीट और उपर्युक्त गणनाओं की जांच कर ली है जो सही है। ~~महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के मिलान पत्र 20/11/76 दिनांक~~

2. 4381068-00 (रु० अंकों में) ~~तीतालस लाख~~ ~~स्वयासी हजार अडसठ~~ रुपये (शब्दों में) के भुगतान की संस्तुति की जाती है।

3. (स्वीकृत प्राधिकारी) को अग्रसारित।

जांच लेखा प्राधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर ~~वितरण अधिकारी~~ अमरोहा

दिनांक

स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा उपयोग के लिये

1. (अभिदाता का या यदि उसकी मृत्यु हो गयी है तो दोवदार/दावेदारों का नाम) को रु० (अंकों में) रु० (शब्दों में) का भुगतान स्वीकृत किया गया।

2. शेष धनराशि के भुगतान का आवेदन पत्र तथा परिकलन शीट और सामान्य निधि पासबुक महालेखाकार (लेखा व हकदारी) एक/दो उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को अग्रसारित किया गया। सामान्य निधि पासबुक भुगतान प्राधिकृत करने के पश्चात आहरण एवं वितरण अधिकारी को वापस किया जाये।

दिनांक

स्वीकृत प्राधिकारी का हस्ताक्षर और मुहर

यदि अभिदाता की मृत्यु हो गयी हो तो क्रम संख्या 8 के विरुद्ध सूचना प्रस्तुत की जायेगी।

